रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0--4
लाइसेन्स सं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 14 जून, 2008 ई0 (ज्येष्ठ 24, 1930 शक संवत्)

भाग 1(क)

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
किसान मण्डी भवन,गोमती नगर लखनऊ

संख्या–उ0प्र0वि0नि0आ0 / सचिव / विनियमावली / विद्युत आपूर्ति संहिता / 08 / 2165
दिनांक 27 मार्च, 2008

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (चौथा संशोधन), 2005

आयोग, आदेश दिनांक 19 मार्च, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूँकि उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (तीसरा संशोधन) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 और 183 तथा इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों के अनुसार 14 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित की गयी थी,

और चूंकि संसद द्वारा विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 26) अधिनियमित किया गया है और इसे 15 जून, 2007 से प्रवर्तित किया गया है,

और चूंकि, 2007 के पूर्वोक्त संशोधन अधिनियम 26 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धाराओं 6,9,38,39,40,42,43,50,61,126,127,135,150,151,153,154,176,178,181 में संशोधन किया गया है और अतिरिक्त धाराओं 151–क और 151–ख को भी अन्तःस्थापित किया है,

और चूंकि विद्युत अधिनियम, 2003 में उक्त कुछ संशोधनों के कारण, विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के कुछ प्राविधान विद्युत अधिनियम, 2003 के संशोधित प्राविधानों से असंगत हो गये हैं,

और चूंकि विधि के अनुसार, प्रदाय संहिता के प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रहने हैं और उनसे असंगत नहीं हो सकते,

और चूंकि उक्त के परिणामस्वरूप तथा अन्य सारभूत कारणों से, प्रदाय संहिता, 2005 के कतिपय प्रावधानों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है,

और चूंकि आयोग ने प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी किया था और सभी हित धारको, जिनमे एन0पी0सी0एल0 भी शामिल है, को भी अधिसूचित किया है कि ''15 जून, 2007 की उक्त नियत तारीख से विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 के अनुरूप विनियमों / संहिताओं में आवश्यक संशोधन किये जाने तक, विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा किये गये संशोधन आयोग द्वारा निर्मित विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 सहित किसी अन्य विनियम या संहिता में उससे असंगत किसी चीज के होते हुए भी प्रभावी होंगे'',

इसलिए अब विद्युत अधिनियम की धारा 50, प्रदाय संहिता 2005 के प्राविधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों के प्रयोग में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति सहिंता (चौथा संशोधन), 2007 जारी करता है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ–**

(1) यह संहिता विद्युत प्रदाय संहिता (चौथा संशोधन), 2007 कही जायेगी।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. **खण्ड 4.1 में संशोधन–**

विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 में, जिसे एतद्पश्चात् संहिता कहा गया है, खण्ड 4.1 के पैरा 1 में प्रयुक्त शब्दों ''और भुगतान'' को शब्द ''आवश्यक प्रभारों के भुगतान और अन्य अनुपालनों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **खण्ड 4.6 में संशोधन–**

उक्त संहिता में, खण्ड 4.6 में, उपखण्ड (ड.) के लिए, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(ड.) (i) 50 किलोवाट तक एल0टी0 भार को केवल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विकसित किया जायेगा जिसके लिए कोई पर्यवेक्षण प्रभार लागू नहीं होगा।

(ii) यदि कार्य विकासक/आवेदक/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है तो, अनुज्ञप्तिधारी पर्यवेक्षण प्रभार (प्राक्कलित श्रम मूल्य, सामग्री संव्यवहार और भण्डारण /तालिका व्यय किन्तु प्रणाली प्रभार और संस्थापन व्यय को अपवर्जित करके) मूल्य आंकड़ा पुस्तिका में विनिर्दिष्ट सामान्य प्राक्कलन के प्रतिशत के रूप में प्रभारित करेगा, जिसे कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा किया जायेगा।

- 50 किलोवाट तक एल0टी0 भार के लिए, यदि उपभोक्ताओं के अनुरोध पर एच0टी0 पर आपूर्ति अवमुक्त की गयी है (ऐसे मामलों में माप एल0टी0 पर किया जायेगा और बिल एल0टी0 टैरिफ के अनुसार होगा)–15 प्रतिशत
- 50 किलोवाट (56 के0वी0ए0) से अधिक 3600 किलोवाट (4000 के0वी0ए0) तक भार के लिए–15 प्रतिशत
- 3600 किलोवाट से अधिक 9000 किलोवाट (10000 के0वी0ए0) तक भार के लिए–8 प्रतिशत
- 9000 किलोवाट (10000 के0वी0ए0) से अधिक भार के लिए–5 प्रतिशत

(iii) अनुज्ञप्तिधारी आवेदक द्वारा प्राक्कलन की पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद कार्य प्रारम्भ करेगा।

4. खण्ड 4.8 का संशोधन– उक्त सहिता में, खण्ड 4.8 (च) में शब्द और अंक ''खण्ड 4.6 (घ) के लिए शब्द और अंक '' खण्ड 4.6 (ड.) प्रतिस्थापित किये जायेगें।

5. खण्ड 4.20 का संशोधन– उक्त संहिता में, खण्ड 4.20 में, उपखण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: **''स्पष्टीकरण–**बैक दर का तात्पर्य उस दर से है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया गया हो।''

6. **खण्ड 6.8 का संशोधन– उक्त संहिता में, खण्ड 6.8 में–**

(क) उपखण्ड (ख) (i) के लिए निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(ख)(i) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है, (जैसा कि अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण के अधीन परिभाषित है), तो वह सुनवाई की तारीख और समय नियत करते हुए समुचित रसीद के अधीन उत्तर पेश करने के लिए 15 कार्य दिवस का समय देते हुए उपभोक्ता को कारण बताओ नोटिस के साथ औपबन्धिक निर्धारण बिल तामील करेगा। नोटिस द्वारा प्रभार और औपबन्धिक निर्धारिण के विरूद्ध उपभोक्ता से लिखित में आपत्तियां आमंत्रित करेगा और सुनवाई की तारीख पर उपभोक्ता की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा।''

(ख) उपखण्ड (ख) (ii) के लिए, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''(ख) (ii) यदि बिल उपभोक्ता पर तामील किये गये ऐसे औपबन्धिक निर्धारण आदेश के सात दिनों के भीतर जमा कर दिया जाता है, तो नोटिस का उत्तर और पश्चातवर्ती सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी।''

(ग) उपखण्ड (ग) (i) में शब्दों एवं अंकों ''सात कार्य दिवस के भीतर'' के लिए शब्दों एवं अंकों ''15 कार्य दिवस के भीतर'' प्रतिस्थापित किए जायेगें।

(घ) उपखण्ड (ग) (iii) के लिए निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थपित किया जाएगा, अर्थात्:

''(ग) (iii) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है, तो निर्धारण उस सम्पूर्ण अवधि के लिए किया जाएगा, जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है और यदि कदाचित वह अवधि जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अनधिकृत प्रयोग किया गया है, सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो ऐसी अवधि सेवा के सभी मदों के लिए निरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास की अवधि तक सीमित की जायेगी और वह औपबन्धिक

रूप से संलग्नक 6.3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उपभोग का निर्धारण करेगा।

टिप्पणी– निर्धारण अधिकारी स्पष्टीकरण 6.8 में दिये गये ''विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग'' की शर्तो की विद्यमानता के आधार पर तथा ऐसे उपलब्ध साक्ष्यों जो यह इंगित करते हों कि विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग कदाशय से नहीं किया गया है, किन्तु प्रक्रिया या नियमावली की अज्ञानता या विवशता के कारण हुआ है जिसके अनुसार अधिनियम के अधीन केवल उपयुक्त निर्धारण की अपेक्षा है, यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है।''

(ड.) उपखण्ड (ग) (iv) के लिए निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

''(ग) (iv)'' उक्त (iii) के अधीन निर्धारण सेवा के सुसंगत मद के लिए लागू टैरिफ दरों के दो गुना दर पर किया जाएगा। इस दर पर (टैरिफ दर का दो गुना) बिल में दी गयी धनराशि को मासिक/ वार्षिक प्रभार जो भी लागू हो, के भुगतानार्थ उपभोक्ता के दायित्व की संगणना करने हेतु विचार में नहीं लिया जायेगा।''

(च) खण्ड (घ) (i) में, शब्दों ''उपखण्ड (ग) के अधीन'' के लिए शब्द ''उपखण्ड (ग) (i) के अधीन'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(छ) खण्ड (घ) (ii) में शब्दों 'धनराशि के एक तिहाई' के लिए शब्द 'धनराशि का आधा' प्रतिस्थापित किया जायेगें।

(ज) खण्ड 6.8 में शीर्षक (ड.) ''निर्धारित धनराशि या उसकी किश्तों के भुगतान में व्यतिक्रम'' के अधीन, उपखण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड 6.8 के प्रयोजन के लिए, ''विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग'' से आशय–

(i) किसी कृत्रिम साधन द्वारा, या

(ii) सम्बद्ध व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अप्राधिकृत साधनों द्वारा, या

(iii) सदोष मीटर के माध्यम से, या

(iv) उस प्रयोजन के अतिरिक्त, जिसके लिए विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत किया गया था, अन्य प्रयोजन के लिए या उन परिसरों या क्षेत्रों, जिनके लिए विद्युत प्रदाय प्राधिकृत किया गया था, के अतिरिक्त अन्य परिसरों या क्षेत्रों के लिए, विद्युत का प्रयोग अभिप्रेत है।'' विदयुत का प्रयोग किये जाने से है।

7. **खण्ड 8 का संशोधन**– उक्त संहिता में, खण्ड 8.0 में उपखण्ड (6) का लोप किया जायेगा।

8. **खण्ड 8.1 में संशोधन**– उक्त संहिता के खण्ड 8.1 में–'' अधिनियम की धारा 135.....अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया'', शीर्षक के पूर्व शब्द और कोष्ठक (क) अन्तःस्थापित किया जायेगा।

(ख) शीर्षक ''अधिनियम की धारा 135 के अधीन विद्युत की चोरी के मामले में निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण, सुनवाई और अन्तिम निर्धारण के लिए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया'' के नीचे प्रस्तर (i) के लिए निम्न प्रस्तर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

''(i) अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का अधिकारी, जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 135 (2) के अधीन प्राधिकृत हो, स्वप्रेरणा से या विद्युत की चोरी के सम्बन्ध में विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति पर तत्काल समुचित तत्परता से ऐसे परिसरों का निरोक्षण करेगा। (संलग्नक 7.3 (ii) एवं संलग्नक 7.3(iii))''

(ग) शीर्षक ''अधिनियम की धारा 135 के अधीन विद्युत की चोरी के मामले में निरीक्षण, औपबन्धिक निर्धारण, सुनवाई और अन्तिम निर्धारण के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंगीकार की जाने वाली प्रक्रिया'' के अधीन प्रस्तर (vii) के लिए निम्नलिखित प्रस्तर प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात–

''(vii) घरेलू पंखा बत्ती के एल0टी उपभोक्ताओं के मामले में मीटर या मीटर उपकरण को दूषित करके चोरी के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के मामले में मीटर को खण्ड 5.6 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उचित रूप से सील करके और परीक्षणोपरान्त हटाया जाएगा। समुचित स्तर के नये मीटर या मीटर उपकरण के माध्यम से आपूर्ति पुनर्स्थापित की जायेगी। एल0टी0/एच0टी0 संयोजनों के अन्य मामलों में, यदि चोरी का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है, जैसा कि टी0वी0एम0 मीटरों के लिए फोटो चित्र/एम0आर0आई0 रिपोर्ट द्वारा अभिलिखित है, या जहां उपभोक्ता द्वारा साक्ष्य के हटाये जाने की आशंका की जाती है, आपूर्ति असंयोजित की जायेगी। रिपोर्ट उपर्युक्त उपखण्ड (v) और (vi) के अनुसार स्थल पर तैयार की जाएगी। जहाँ एम0आर0आई0 रिपोर्ट साक्ष्य–दूषण की है, वहाँ उसकी प्रति सात कार्यदिवस में उपभोक्ता को भेजी जाएगी।

परन्तु प्राविधान यह है कि अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का केवल प्राधिकृत अधिकारी (संलग्नक 7.3 (iv) संलग्नक 7.3 (v) एवं संलग्नक 7.3 (vi)) या समय समय पर आयोग के आदेश द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी का कोई अन्य अधिकारी विद्युत की आपूर्ति लाइन को असंयोजित करेगा और निर्धारित धनराशि के भुगतान या निक्षेप पर ऐसे निक्षेप या भुगतान के 48 घण्टे के भीतर विद्युत की आपूर्ति पुनर्स्थापित करेगा।"

(घ) उक्त संहिता में, खण्ड 8.1(क) में, निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः

(xi) उन मामलों में जिनमें चोरी के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य पाया जाये, लाइसेंसधारी का प्राधिकृत अधिकारी संयोजन विच्छेदन के 24 घण्टे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करायेगा।

उन मामलों में जहॉ लाइसेंसधारी का प्राधिकृत अधिकारी संयोजन विच्छेदन के 24 घण्टे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराने में विफल रहे, तो यह समझाा जायेगा कि लाइसेंसधारी निष्पादन के मानकों को प्राप्त करने में और उनका अनुरक्षण करने में विफल हो गया है, और व्यथित उपभोक्ता अधिनियम की धारा 57 के अधीन अपने दायित्वों के निर्वहन में लाइसेंसधारी की विफलता के लिये सीधे आयोग में सम्पर्क स्थापित कर सकता है।''

(ड.) शीर्षक "(ख) सुनवायी" के अधीन प्रस्तर (iv) में अंक और शब्दों "1.5 (डेढ़)" के लिए अंक और शब्द "2(दो)" प्रतिस्थापित किए जाऐंगे।

9. **खण्ड 8.2 का संशोधनः**—उक्त संहिता में खण्ड 8.2 मेंः—

शीर्षक "विद्युत की चोरी के मामले में संज्ञान लेने की प्रक्रिया" के अधीन प्रस्तर (i) के लिए निम्नलिखित प्रस्तर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"(i) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और विद्युत नियमावली, 2005 के अधीन ऊर्जा मंत्रालय के कठिनाइयों का निवारण करने की शक्ति विषयक आदेश दिनांक 8—6—2005 और विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के अनुसार, उक्त खण्ड 8.1 में निर्धारित और जैसा कि यहां उपबन्धित है, कृत कार्यवाही अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता के प्राधिकृत अधिकारी को असंयोजन के समय से 24 घण्टे के भीतर थाने में परिवाद दाखिल करने और असंयोजन की तारीख से तीस दिनों के भीतर

विशेष न्यायालय के समक्ष वाद दाखिल करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती।

संयोजन विच्छेदन के 30 दिन के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष वाद को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर यह समझा जायेगा कि लाइसेंसधारी निष्पादन के मानकों को प्राप्त करने में और उनका अनुरक्षण करने में विफल हो गया है, और व्यथित उपभोक्ता अधिनियम की धारा 57 के अधीन अपने दायित्वों के निर्वहन में लाइसेंसधारी की विफलता के लिये सीधे आयोग में सम्पर्क स्थापित कर सकता है और लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता का प्राधिकृत अधिकारी, विद्यमान टैरिफ के 1.0 गुना की गणना करके निर्धारित धनराशि के अंतरिम भुगतान पर, ऐसी जमा या भुगतान के 48 घण्टे के भीतर निर्धारण की अवधि के लिये उपभोक्ता द्वारा पहले से किये गये भुगतान को घटाकर, आपूर्ति पुनः चालू करेगा। तत्पश्चात प्राधिकृत अधिकारी विशेष न्यायालय के समक्ष वाद को प्रस्तुत करने के लिये कार्यवाही करेगा।''

शीर्षक "अपराध का संज्ञान" के अधीन, निम्नलिखित प्रस्तर प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात–

प्रस्तर (क) के स्थान पर–

> "(क) ऐसे अपराध को कारित करने के सम्बन्ध में लिखित परिवाद समुचित सरकार या समुचित आयोग या इस सम्बन्ध में उनके प्राधिकृत अधिकारियों में से किसी द्वारा या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन करने वाली कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा असंयोजन के समय से 24 घण्टे के भीतर उस क्षेत्र के अधिकारिता धारण करने वाले थाने में दाखिल किया जाएगा।"

शीर्षक "अपराध का संज्ञान" के अधीन पैरा (ग) के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

> "(ग) पुलिस अन्वेषण के बाद उक्त उपखण्ड (क) के अधीन दाखिल की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट अधिनियम के अधीन विचारण के लिए न्यायालय अर्थात् विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय के अभाव में किसी अन्य न्यायालय को अग्रसारित करेगी :
>
> परन्तु प्राविधान यह है कि न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन दाखिल पुलिस अधिकारी

की रिपोर्ट पर भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान ले सकेगा।"

(घ) शीर्षक "अपराध का संज्ञान" के अधीन प्रस्तर (ङ) के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

"(ङ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, प्रत्येक विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय के अभाव में कोई अन्य न्यायालय अधिनियम की धारा 135 से 140 और धारा 150 में निर्दिष्ट अपराध का संज्ञान अभियुक्त को विचारण के लिए उसके सुपुर्द हुए बिना लेगा और ऐसा अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।"

10. **खण्ड 8.4 का संशोधन** –उक्त संहिता में, खण्ड 8.4 में, प्रस्तर (क) के लिए निम्नलिखित प्रस्तर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(क) दूषित मीटर तत्काल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नये मीटर से प्रतिस्थापित किया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी घोषणा की तारीख से पहले के तीन पूर्व बिलों के लिए संगणित सभी उपभोक्ताओं के लिए सामान्य टैरिफ के दो गुना पर निर्धारण बिल तैयार करेगा।"

11. **संलग्न 6.2 में संशोधन** – उक्त संहिता में, संलग्नक 6.2 में, प्रस्तर 5 में, शीर्षक "विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अधीन अपील" के अधीन, शब्दों एवं अंकों "धनराशि का एक तिहाई" के लिए, शब्द "धनराशि का आधा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. **संलग्नक 6.3 में संशोधन**– उक्त संहिता में, संलग्नक 6.3 में–

(क) शीर्षक "(क) विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के मामले में निर्धारण" के अधीन प्रस्तर 1 में, "घ" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः

"घ– अवधि, जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है और यदि कहीं वह अवधि, जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत प्रयोग किया गया है, सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो ऐसी अवधि निरीक्षण की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 12 मास (365 दिनों) की अवधि तक सीमित की जाएगी।

टिप्पणी–अप्राधिकृत प्रयोग की "वास्तविक अवधि" अवधारित करने के लिए, निर्धारण अधिकारी स्वयं का समाधान (i) प्रथमदृष्ट्या अप्राधिकृत उपभोग का पता लगने की रिपोर्ट करने वाले मीटर पाठक/अवर अभियन्ता की रिपोर्ट में निहित तथ्यों (ii) निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में उपभोग की जांच तथा मीटर पठन अभिलेख, एम0आर0आई0 रिपोर्ट इत्यादि से साक्ष्यदूषण आदि के

दृष्टिगत अतिरिक्त जांच करके (iii) सम्बन्धित परिसर/संस्थापन या स्थल से अर्जित किसी अन्य अभिलेख या साक्ष्य से करेगा।"

(ख) शीर्षक "(क) विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के मामले में निर्धारण" के अधीन प्रस्तर 2 में खण्ड क (2) और क (3) में शब्दों "डेढ़ गुना" जहाँ कहीं आते हैं, को शब्द "दो गुना" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) शीर्षक "(क) विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग के मामले में निर्धारण" के अधीन प्रस्तर 3 के बाद निम्नलिखित प्रस्तर 4 अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"4. जिन मामलों में, विद्युत का प्रयोग उन परिसरों या क्षेत्रों, जिनके लिए विद्युत की आपूर्ति प्राधिकृत की गयी थी, के अलावा अन्य परिसरों या क्षेत्रों में हुआ है, वहाँ क्रमांक 1 से 3 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।"

(घ) शीर्षक "ख– उन मामलों में, जहाँ विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए हैं" के अधीन प्रस्तर (i) के लिए निम्नलिखित प्रस्तर प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(i) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि आपूर्ति की गयी ऊर्जा उस प्रयोजन के लिए है, जिस पर उच्चतर टैरिफ लागू है, तो ऐसे प्रयोग को, पूर्व के एक वर्ष में या पता लगने की तारीख से सुनिश्चित वास्तविक अवधि में, उपभोग की गयी कुल ऊर्जा के लिए उस मद के लिए, जिसके लिए विदयुत भार प्रयुक्त किया गया पाया गया था, लागू दर के दो गुना पर प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु यदि किसी समय यह पाया जाता है कि आपूर्ति की गयी ऊर्जा उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिस पर न्यून टैरिफ लागू है, तो इस पर यू0यू0ई0 के रूप में विचार नहीं किया जाएगा और कोई दाण्डिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।"

(ङ) शीर्षक– "ग– चोरी के मामले में ऊर्जा का निर्धारण'' के अधीन प्रस्तर (ii) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा :

"स्पष्टीकरण–"प्रत्यक्ष चोरी वहाँ अभिप्रेत है, जहाँ आपूर्ति सीधे जुड़ी है और कोई मीटर संस्थापित नहीं है।"

13. **संलग्नक 7.3 (ii) में संशोधन–** संलग्नक 7.3 (ii) में "संदर्भ खण्ड 7.11 और 8. 1 (i)" के रूप में आने वाले शब्दों के लिए "संदर्भ खण्ड 7.11 और 8.1 (क) (i)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

14. संलग्नक 7.3 (iii) का जोड़ा जाना– **संलग्नक 7.3** (ii) के पश्चात्, नया संलग्नक 7.3 (iii) अन्तःस्थापित किया जाएगा।

15. संलग्नक 7.3 (iv) का जोड़ा जाना– संलग्नक 7.3 (iii) के पश्चात्, नया संलग्नक 7.3 (iv) अन्तःस्थापित किया जाएगा।

16. संलग्नक 7.3 (v) का जोड़ा जाना– संलग्नक 7.3 (iv) के पश्चात्, नया संलग्नक 7.3 (v) अन्तःस्थापित किया जाएगा।

17. संलग्नक 7.3 (vi) का जोड़ा जाना– संलग्नक 7.3 (v) के पश्चात्, नया संलग्नक 7.3 (vi) अन्तःस्थापित किया जाएगा।

आयोग के आदेश द्वारा

(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
सचिव

संलग्नक 7.3(iii) (संदर्भित खण्ड 7.11 एवं 8.1(क)(i))

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–3
संख्या– 28 /चौबीस–पी–3–2008
लखनऊ : दिनांक: 03 जनवरी, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जांच/कार्यवाही हेतु अधिकृत अधिकारियों के सम्बन्ध मे ऊर्जा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–2635/चौबीस–पी–3–2004, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 में एतद्द्वारा आंशिक संशोधन कर निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

(1) अवर अभियन्ता एवं उससे ऊपर के अधिकारी ।
(2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की पुलिस सतर्कता शाखा में तैनात पुलिस निरीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारी।

वी0एन0 गर्ग
प्रमुख सचिव

संख्या: 28 (1)पी–3/24–2008, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ0प्र0 ।
2– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4– पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5– समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा ।
6– प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।

आज्ञा से,
(राजकमल गुप्ता)
विशेष सचिव

संलग्नक 7.3(iv) (संदर्भित खण्ड 8.1 (क) (vii))

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (दूरभाषः 2720425) फैक्स : 2720423, ई–मेलःsecretary@uperc.org

सन्दर्भः यूपीईआरसी/सचिव/2007–1077
दिनांकः 30 अगस्त 2007

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत प्राधिकार

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत(संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत विद्युत चोरी के पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत विच्छेदन हेतु पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के सहायक अभियंता/एस0डी0ओ0 या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

ये अधिकारी विद्युत चोरी के पाये जाने पर विद्युत विच्छेदन करने में समर्थ होंगे। इन अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि विद्युत विच्छेदन के 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में उक्त अपराध की शिकायत दर्ज कराये। संबंधित वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर विद्युत चोरी के ऐसे सभी प्रकरणों की सूचना आयोग को एवं सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायेगा जिसमे विद्युत विच्छेदन के 24 घण्टों के अन्दर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज न हुई हो साथ ही ऐसे प्रकरणों में अपने स्तर से लिये गये निर्णय से भी आयोग को अवगत करायेगा।

यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि या विद्युत शुल्क को जमा कर देता है, तो उक्त शिकायत को दर्ज करवाये जाने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञप्तिधारी उक्त धनराशि के जमा कराये जाने के 48 घण्टों के अन्दर विद्युत संयोजन को पुनः जोड देगा।

आयोग के आदेश से

(संगीता वर्मा)
सचिव

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
2. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

संलग्नक 7.3(v) (संदर्भित खण्ड 8.1 (क) (vii))

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (दूरभाषः 2720425) फैक्स : 2720423, ई–मेलःsecretary@uperc.org

सन्दर्भः यूपीईआरसी/सचिव/2007–1078
दिनांकः 31 अगस्त 2007

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत प्राधिकार

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत(संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आरोपित धारा 135(1ए) के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत विद्युत चोरी के पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत विच्छेदन हेतु नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, नोएडा के अवर अभियंता या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

ये अधिकारी विद्युत चोरी के पाये जाने पर विद्युत विच्छेदन करने में समर्थ होंगे। इन अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि विद्युत विच्छेदन के 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में उक्त अपराध की शिकायत दर्ज कराये। मुख्य अधिशासी अधिकारी, नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर विद्युत चोरी के ऐसे सभी प्रकरणों की सूचना आयोग को एवं सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायेगा जिसमे विद्युत विच्छेदन के 24 घण्टों के अन्दर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज न हुई हो साथ ही ऐसे प्रकरणों में अपने स्तर से लिये गये निर्णय से भी आयोग को अवगत करायेगा।

यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि या विद्युत शुल्क को जमा कर देता है, तो उक्त शिकायत को दर्ज करवाये जाने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञप्तिधारी उक्त धनराशि के जमा कराये जाने के 48 घण्टों के अन्दर विद्युत संयोजन को पुनः जोड देगा।

आयोग के आदेश से

(संगीता वर्मा)
सचिव

मुख्य अधिशासी अधिकारी, नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड नोएडा।

संलग्नक 7.3(vi) (संदर्भित खण्ड 8.1(क)(vii))

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
किसान भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर लखनऊ (दूरभाष: 2720426)
फैक्स : 2720423, ई–मेल : secretary@uperc.org

सन्दर्भ: यूपीईआरसी/सचिव/2008–1876
दिनांक: 24.1.2008

विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आघोषित धारा 135 (1ए) के अन्तर्गत प्राधिकार।

विद्युत अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सँ0 28/चौबीस–पी–3–2008 दिनांक 03 जनवरी 2008 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आयोग के पत्र सँ0 यूपीईआरसी/सचिव/2007/1007 दिनांक 30 अगस्त 2007 को संशोधित करने का निर्णय लेते हुए विद्युत अधिनियम 2003 सपठित विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा 135 (1ए) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत विद्युत चोरी के पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत विच्छेदन हेतु पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड कानपुर के अवर अभियन्ता या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। नोयडा पावर कम्पनी, नोयडा के विषय में आयोग के पत्र सँ0 यूपीईआरसी/सचिव/2007/1007 दिनांक 31 अगस्त 2007 द्वारा अवर अभियन्ता या उससे ऊपर के अधिकारियों को अधिकृत किये जाने की स्थिति यथावत रहेगी।

ये अधिकारी विद्युत चोरी के पाये जाने पर विद्युत विच्छेदन करने में समर्थ होंगे। इन अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि विद्युत विच्छेदन के 24 घंटे के अन्दर सम्बंधित पुलिस स्टेशन में उक्त अपराध की शिकायत दर्ज करायें। सम्बंधित वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर विद्युत चोरी के ऐसे सभी प्रकरणों की सूचना आयोग को एवं सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायेंगे जिनमें विद्युत विच्छेदन के 24 घंटों के अन्दर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज न हुयी हो साथ ही ऐसे प्रकरणों में अपने स्तर से कृत कार्यवाही से भी आयोग को अवगत करायेंगे।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि या विद्युत शुल्क को यदि उपभोक्ता जमा कर देता है तो उक्त शिकायत को दर्ज करवाये जाने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञप्तिधारी उक्त धनराशि के जमा कराये जाने के 48 घंटों के अन्दर विद्युत संयोजन को पुनः जोड देगा।

आयोग के आदेश से

(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
सचिव

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
2. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड कानपुर।
6. मुख्य अधिशाषी अधिकारी, नोयडा पावर कम्पनी, नोयडा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ।